फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट एंव उपखण्ड अधिकारी मुकाम छतरगढ़

सरकार .... बनाम ग्राम राजासर भाटियान

नंबर 07 सन – 2020

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र
धारा 136 LRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अन्तर्गत जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.01.2021	यह राजस्व प्रार्थना पत्र सरकार जरियें तहसीलदार छतरगढ द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पंत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम राजासर भाटियान पटवार मण्डल राजासर भाटियान के खसरा नम्बर 90 में रकबा 807 बीघा बारानी में विभिन्न खातों के विभाजित खसरें अनुसार मौके पर सहीं काबिज नहीं होने के कारण मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम नहीं किये जाने के कारण एकल खाता (संयुक्त खाता) किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़	
29/01/21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भू. अ. छतरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सूची क्र. सं. 01 से 27 तक हल्का पटवारी, ILR की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार (भू. अ.) छतरगढ की अनुशंषा पर विभाजित खातें/खसरों की तरमीम न हो पाने DILRMP [illegible] खातें/खसरों की कार्य को पूर्ण करने के [illegible] ऑनलाईन स्तर तरमीम न हो [illegible] के कारण [illegible] की [illegible] पर एकल करने की [illegible] के विभाजन [illegible] है, जो बाद ऑनलाईन के विभाजन [illegible] जरियें तरमीम करवाई जा सकेगी। उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.03.16 16:37:31 IST
Reason: SelfAttested